राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च 2008 तक की पंजीकृत, निर्णित एवं विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण 3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	195	86	65	25	0	176	19
2.	अलवर	128	49	19	35	6	109	19
3.	बारां	81	35	18	11	0	64	17
4.	बांसवाड़ा	40	2	17	8	0	27	13
5.	बाड़मेर	110	17	45	21	6	89	21
6.	भरतपुर	176	59	66	32	0	157	19
7.	भीलवाड़ा	139	71	37	16	0	124	15
8.	बीकानेर	92	10	48	13	6	77	15
9.	बूंदी	88	26	38	15	0	79	9
10.	चित्तौड़गढ़	183	84	26	19	0	165	18
11.	चूरू	52	29	6	8	0	43	9
12.	दौसा	112	39	42	16	0	97	15
13.	धोलपुर	107	29	58	15	1	103	4
14.	डूंगरपुर	26	11	4	6	0	21	5
15.	हनुमानगढ़	76	43	2	14	0	59	17
16.	श्रीगंगानगर	102	49	14	21	0	84	18
17.	जयपुर	727	264	102	238	29	633	94
18.	जैसलमेर	22	3	10	5	0	18	4
19.	जालौर	62	5	31	13	6	55	7
20.	झालावाड़	159	65	27	44	0	136	23
21.	झुन्झुनूं	86	10	41	16	2	69	17
22.	जोधपुर	115	14	52	20	6	92	23
23.	करौली	103	39	34	17	0	90	13
24.	कोटा	139	47	16	37	0	100	39
25.	नागौर	127	21	63.	22	2	108	19
26.	पाली	140	18	67	28	6	119	21
27.	राजसमन्द	53	29	19	4	0	52	1
28.	स. माधोपुर	99	31	37	18	0	86	13
29.	सीकर	146	61	23	34	2	120	26
30.	सिरोही	57	8	35	4	2	49	8
31.	टोंक	97	23	46	15	1	85	12
32.	उदयपुर	120	55	7	36	2	100	20
33.	राज्य से बाहर	18	14	1	3	0	18	0
	कुल	**3977**	**1346**	**1152**	**829**	**77**	**3404**	**573**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार /विषयवार वर्गीकरण

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)		स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक हिंसा (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/संस्कृति से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	सहन नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	0	1	8	0	1	3	55	0	2	3	12	110	195
2.	अलवर	0	1	1	1	0	1	36	0	0	11	1	76	128
3.	बारां	0	0	1	0	0	1	28	1	0	1	9	40	81
4.	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	11	0	0	6	6	17	40
5.	बाड़मेर	3	3	0	0	0	0	17	0	6	17	0	64	110
6.	भरतपुर	0	0	3	3	0	2	79	0	0	5	13	71	176
7.	भीलवाड़ा	0	0	3	0	0	0	37	1	0	2	4	92	139
8.	बीकानेर	0	1	1	0	0	0	17	0	0	5	2	66	92
9.	बूंदी	0	0	0	0	0	0	43	0	1	1	9	34	88
10.	चित्तौड़गढ़	1	0	1	1	0	7	34	0	2	10	32	95	183
11.	चूरू	1	0	1	0	0	0	13	0	0	10	0	32	57
12.	दौसा	3	1	0	0	0	0	49	0	3	6	5	45	112
13.	धौलपुर	0	0	1	0	0	1	45	0	0	1	10	50	108
14.	डूंगरपुर	0	0	0	1	0	0	5	0	0	2	9	9	26
15.	हनुमानगढ़	0	2	2	0	0	0	13	0	0	6	4	49	76
16.	श्रीगंगानगर	1	1	0	0	0	0	21	0	1	10	1	67	102
17.	जयपुर	16	12	13	8	1	1	195	6	1	28	54	395	730
18.	जैसलमेर	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	16	22
19.	जालौर	1	0	0	0	0	1	19	0	1	5	7	28	62
20.	झालावाड़	0	1	1	5	2	0	48	0	0	1	17	84	159

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक निरोध (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	प्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21. झुन्झुनूं	0	2	1	0	0	0	17	1	0	7	2	58	86
22. जोधपुर	4	1	8	0	0	0	23	0	1	9	2	67	115
23. करौली	0	0	0	0	1	4	34	0	1	12	12	38	102
24. कोटा	1	2	7	0	0	0	52	2	0	3	11	60	138
25. नागौर	0	3	0	1	0	1	28	1	2	1	7	83	127
26. पाली	1	0	0	3	0	4	32	0	2	4	25	67	138
27. राजसमन्द	0	0	0	0	0	1	11	0	0	3	7	31	53
28. स. माधोपुर	0	0	0	2	0	6	39	1	0	7	19	25	99
29. सीकर	3	2	1	0	0	0	34	1	1	7	2	95	146
30. सिरोही	0	0	0	0	0	1	12	0	0	1	15	28	57
31. टोंक	0	0	2	0	0	5	43	0	0	1	5	40	96
32. उदयपुर	0	0	2	1	1	0	26	0	2	5	27	53	117
33. राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	12	17
कुल	**36**	**34**	**57**	**26**	**6**	**39**	**1121**	**14**	**27**	**191**	**331**	**2095**	**3977**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक कुल शेष प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक निरोध (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	प्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
कुल	**8**	**12**	**25**	**3**	**1**	**6**	**287**	**3**	**6**	**54**	**60**	**108**	**573**

मानवाधिकारों के हनन को रोकने बाबत् कुछ महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश व विस्तृत आदेश

1. परिवाद संख्या– 06/17/3305 में मानसिक विमंदित गृह में हनुमान की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना पर समाज कल्याण विभाग व अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह से ऐसे आवासी मंदबुद्वि बच्चों की समय–समय पर मेडिकल जांच कराने एवं समुचित ईलाज व्यवस्था सुव्यस्थित कराने हेतु कहा गया ।

2. परिवाद संख्या– 04/12/1515 में यह देखा गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रिक्त पदों के कारण एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है और अन्वेषण में देरी होती है। इस पर आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोग शाला में रिक्त चल रहे 40 पदों को भरने के लिए कहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बताया कि इन पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है। साथ ही, राज्य सरकार को भी इस सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु कहा।

3. परिवाद संख्या– 04/26/241 में डी.एल.एफ. (अम्बुजा) सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा हवा में प्रदूषण फैलाने के मामले में आयोग द्वारा दिनांक 6 अप्रेल 2007 को कराये गये निरीक्षण के उपरान्त सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, को हिदायत दी गई कि वे आइंदा भी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यूनिट की मोनिटरिंग कराते रहें।

4. परिवाद संख्या– 07/17/283 में हच मोबाईल कम्पनी द्वारा बिना परमिशन के टॉवर लगाने व जेनरेटर द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने पर हच मोबाईल कम्पनी व नगर निगम से जवाब मांगा गया। आयोग के आदेश पर कम्पनी द्वारा जेनरेटर को हटा दिया गया। नगर निगम ने नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया।

5. परिवाद संख्या– 06/17/2469 में पति पत्नी के आपसी झगडों के बारे में परिवाद पेश हुआ जिसमे आयोग द्वारा जवाब चाहने पर पति पत्नी में समझौता हो जाने बाबत अवगत कराया। जिस पर आयोग द्वारा अपेक्षा की गई कि पति–पत्नी आगे से शान्ति पूर्वक अपना जीवनयापन करेंगे।

6. परिवाद संख्या– 06/32/1874 में आयोग के समक्ष यह शिकायत थी कि जो व्यक्ति आयोग में कोई शिकायत लेकर आता है, उसे ही पुलिस अधिकारियो द्वारा हैरान व परेशान किया जाता है। जिस

पर आयोग द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के लिए जांच में पक्षपात नहीं करें। साथ ही, महानिदेशक (पुलिस) को भी पत्र लिखा गया कि प्रायः यह देखा गया है कि जो व्यक्ति आयोग के समक्ष अपनी फरियाद लेकर आता है, उसे ही पुलिस द्वारा किसी न किसी तरह से प्रताडित किया जाता है। इस आदेश की पालना में महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर आयोग को अवगत कराया।

7. परिवाद संख्या– 07/17/1487 में शहर में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग द्वारा लिखा गया कि कल्याणकारी राज्य में नगर पालिकाओं, सम्बन्धित विभागों व नगर निगमों का दायित्व बनता है कि वह शहरों की सफाई व्यवस्था बनाये रखे, बारिश से पहले नाले का मुआयना कर वांछित कार्यवाही के साथ नालियो आदि से गंदगी हटाये, जिस से बारिश के समय पानी अवरूद्व न हो व दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलें।

8. परिवाद संख्या– 05/17/961 में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में नगर निगम ने जवाब में बताया कि फाईल राज्य अन्वेषण ब्यूरों के पास होने के कारण वांछित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पर आयोग ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 1987(2) डब्ल्यू.एल.एन. पृष्ठ– 948 से 962 के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना का उल्लेख करते हुए राज्य अन्वेषण ब्यूरों को लिखा कि मामले की पत्रावली नगर निगम को उपलब्ध कराई जाये व नगर निगम आयोग के आदेश दिनांक 5.4.2006 व 5.7.2006 की पालना में अतिक्रमण के सम्बन्ध में विधि सम्मत कार्यवाही करें। आयोग के महानिरीक्षक को भी जांच के आदेश दिए गये।

9. परिवाद संख्या– 06/17/1591 में गुर्जर की थडी, जयपुर के पास स्थित नाले के किनारे कचरा डालने की शिकायत थी । जवाब में नगर निगम ने बताया कि उक्त स्थान से कचरा हटा लिया गया है। इस पर आयोग द्वारा नगर निगम व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त स्थान की समय–समय पर मोनिटरिंग करने व दोबारा कचरा न डालने के बारे में लिखा गया।

10. परिवाद संख्या– 05/17/2936 में विभिन्न स्थानों पर बिजली के खुले तारो एवं बक्सों की शिकायत पर कि, नंगे तारों की वजह से जानवरों के साथ–साथ आदमी भी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम ने जवाब में बताया कि बिजली के खुले तारों व बक्सों को व्यवस्थित कर दिया गया है। आयोग ने निगम से अपेक्षा की कि जहां बिजली के नंगे तार अव्यस्थित रूप से फैले हुए है तथा ट्रांस्फारमर खतरनाक स्थिति में लगे हुए हैं, वहां पर हवा चलने पर बिजली के तारों से जनधन की हानि होने की संभावना है, अतः अपेक्षित कार्यवाही की जाये व इनकी मोनिटरिंग की जाये।

11. परिवाद संख्या– 05/17/3794 में यह शिकायत थी कि निजी मकानों में टेन्ट हाउस के मार्फत वैवाहिक कार्यकमों का आयोजन करने से सडकों पर ट्रेफिक की व्यवस्था बिगड जाती है। आयोग ने इस मामले में अन्य प्रकरण संख्या– 03/13/373 में दिए गये आदेश का उल्लेख करते हुए लिखा गया कि जयपुर नगर निगम, यातायात विभाग व अन्य अधिकारी वैवाहिक कार्यकर्मो के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं के निराकरण के सम्बन्ध में उक्त नियमों के अधीन उचित कार्यवाही कर आमजन को होने वाली असुविधा की समस्या का निराकरण करेंगे व जयपुर नगर निगम (विवाह स्थल) उपविधियां 2005 की पालना समुचित रूप से करते रहेंगे।

12. परिवाद संख्या– 04/02/2205 व 06/11/3753 में मानव अधिकार आयोग के नाम से मिलते–जुलते नाम रखकर आमजन को गुमराह करने वाली फर्जी संस्थाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही के क्रम में अलवर की अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, अलवर को निर्देशित किया गया।

13. परिवाद संख्याः 07/17/2634 में परिवादी की गरीबी की हालत को देखते हुए Executive Chairperson, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पैरवी हेतु नियमानुसार न्यायमित्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

14. परिवाद संख्याः 07/17/2196 में जेल में विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक यातनाऐं दिए जाने व बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायत पर महानिदेशक (कारागार) से जवाब तलब किया गया।

15. परिवाद संख्याः07/17/2624 में मनोरोगी मरीजों को अपने निजी चिकित्सक की निगरानी में, चैकअप करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, जयपुर दक्षिण, जयपुर को मरीजों के चैकअप इत्यादि करवाने व एम्बुलेंस हेतु पुलिस एस्कोर्ट मय महिला आरक्षी पहुंचाने की यथा समय व्यवस्था कराने हेतु लिखा गया।

16. परिवाद संख्याः 07/17/2166 में पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की गई कि वह समाज में चौथ वसूली जैसे आपराधिक कृत्यों के प्रति सजगता बनाये रखे और इस सम्बन्ध में कानून–व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करावें।

17. परिवाद संख्याः 07/32/1521 में दलित एवं कमजोर वर्ग के श्रमिकों के मानव अधिकारों का हनन एवं लोक सेवकों की विधि विरूद्व कार्यवाही का मामला सामने आया। सचिव, खान विभाग, को आयोग के महानिरीक्षक, पुलिस की जांच रिपोर्ट का बिन्दूवार जवाब आयोग को भेजने हेतु लिखा गया।

18. परिवाद संख्या:07/17/2545 में जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 1984) एस.सी. 802 में दिए गये निर्देशों की पालना में जिले के बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में निगरानी बनाये रखे और ऐसी परिस्थितियां पाये जाने पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

19. परिवाद संख्या:07/17/2547 में यह पाया गया कि शहर की मुख्य सडकों व गलियों में आवारा पशु आये दिन विचरण करते रहते है, जिस से कई बार दुर्घटनाऐं भी कारित हो जाती हैं। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों, रेल्वे अस्पतालों आदि में भी कुत्ते आदि आवारा पशु विचरण करते है। जिस पर आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखा गया।

20. परिवाद संख्या:04/17/504 में आयोग द्वारा परिवाद के तथ्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी चाहने पर संबंधित विभाग ने सूचित किया कि परिवादिया श्रीमती सरोज शर्मा प्रसाविका को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा 41677/– रूपये का बकाया भुगतान कर दिया गया है।

21. परिवाद संख्या:07/17/1367 में संबंधित हॉस्पीटल द्वारा कमजोर वर्ग के परिवादी गोपी कालबेलिया की पत्नी का हार्ट वाल्व से सम्बन्धित आपरेशन दिनांक 9.7.2007 कर आयोग को सूचित किया गया।

22. आयोग की खण्डपीठ ने परिवाद संख्या:06/17/3156 में हिंगोनिया गौशाला में गायों के रखरखाव व उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में बडे स्तर पर सुधार की आवश्यकता जताई। जिसके लिए विभिन्न विभागो को लिखा कि वे पारस्परिक समन्वय बनाकर संवेदनशीलता से कार्य करें तथा गौवंश की रक्षा हेतु पेम्पलेट इत्यादि भी छपवायें। इसके अलावा आयोग ने नागरिकों का भी यह कर्त्तव्य माना कि वे सडकों पर पॉलिथीन की थैलियां इधर–उधर ना फेंके। इसके अलावा परिवाद संख्या:06/17/3156 में आम रास्तों पर आवारा पशुओं के विचरण करने से होने वाली गंदगी व दुर्घटनाओं की रोकथाम के मद्देनजर नगर निगम/सचिव स्वायत्तशासन विभाग को राज्य स्तर पर कार्यवाही करने का सुझाव दिया।

23. परिवाद सं. 07/17/620 में मैरिज हॉल मे आयोजित कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि प्रसारक यंत्रों से तेज आवाज होने की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखा गया कि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम नियम 2000 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.2005 की पालना में समय–समय पर उक्त स्थानों की मोनिटरिंग करते रहें।

24. परिवाद संख्या– 07/17/2694 में आयोग ने रोडवेज बसों मे व्याप्त गंदगी और धूम्रपान के बारे में प्रसंज्ञान लिया, जिस पर रा.रा.प.प.नि. ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी बस चालक को बस में धूम्रपान करने पर चेतावनी दी व बसों में गंदगी न फैले, इसके समुचित इंतजाम से आयोग को आश्वस्त किया।

25. परिवाद संख्या:07/17/2037, जो मृत्यु स्वत्व प्रकरण का मामला था, में आयोग के आदेशानुसार परिवादिया मंजूदेवी को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने समस्त भुगतान हेतु पत्र जारी कर आयोग को सूचित किया।

26. एक सुझावात्मक परिवाद संख्या:07/17/1987, में दलित महिलाओं पर अत्याचार के परिपेक्ष्य में उनकी सामाजिक सुरक्षा, न्याय, पुलिस थानों में सुनवाई आदि के बारे में सुझाव दिए गये थे। जिसे राज्य सरकार को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

27. परिवाद संख्या:07/17/2626 में बंदरों द्वारा आतंक फैलाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम ने त्वरित कार्यवाही कर बंदरों को पकड कर आमजन को राहत पहुंचायी।

28. परिवाद संख्या:07/17/2266 में जनाना अस्पताल, जयपुर में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ/छात्राओं के आवास हेतु शीघ्रातिशीघ्र माकूल इंतजाम करवाने के निर्देश जारी किए गये।

29. परिवाद संख्या: 07/17/1522 में कॉलोनी में तेजाब व प्लास्टिक फैक्ट्री लगा कर प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगने के दौरान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने प्रदूषक उद्योगों को बन्द करने के निर्देश दिए तथा अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 एवं अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को उक्त उद्योगों के विद्युत एवं जल सम्बन्ध विच्छेद करने के निर्देश भी दिए गये।

30. परिवाद संख्या: 06/17/2813 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों की संख्या दिनोंदिन काफी तादाद में बढने, किन्तु इसी अनुपात में वांछित सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति को देखते हुए मरीजों को ऐसी वांछित सुविधाऐं उपलब्ध न होना प्रथम दृष्टया उनके मानव अधिकारों के हनन की ताईद में माना। इस सम्बन्ध में अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रमुखशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर/सचिव, चिकित्सा विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लिखा गया कि जन साधारण को समुचित स्वास्थ्य सेवाऐ उपलब्ध करावे। तथा यथासंभव रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

31. परिवाद संख्या:07/17/2149 में जयपुर स्थित विभिन्न क्लबों में क्लब बंद होने के निर्धारित समय से भी अधिक देर तक विभिन्न गतिविधियां चलने और इनके Unethical activities की श्रेणी में आने पर आयोग ने श्रम विभाग से नियमावली की जानकारी लीं।

32 परिवाद संख्या:07/17/2309 में लालाराम द्वारा परिवादिया नानगी देवी का हाथ तोडने के मामले को आयोग ने मानव अधिकार का हनन माना, किन्तु दोषी के लोक सेवक ना होने के कारण परिवादियां को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करने का सुझाव दिया गया।

33. परिवाद संख्या:06/17/2973 के मामले में खण्डपीठ ने मृतक पाक बंदी मो0 जैनाद की मृत्यु के उपरान्त उसके शव को उसके परिजनो को सौंपे जाने अथवा अंतिम संस्कार किए जाने के बारे में जिला कलेक्टर से जानकारी चाही।

34. परिवाद संख्या 07/20/1143 में नगरपालिका पिडावा (झालावाड) से परिवादी/पीडित व्यक्ति को उसकी जमीन का पट्टा दिलवाया।

35. परिवाद संख्या 07/20/1046 में परिवादी श्री कालूराम लुहार को केन मशीन का अटकाया हुआ भुगतान 48000/– रूपये करवाया गया।

36. परिवाद संख्या– 06/24/3080 में आयोग की आदेश की पालना में महानिदेशालय, कारागार, राज0 जयपुर ने समस्त उप महानिरीक्षक आदि को कारागार में बदियों के साथ मारपीट प्रताडना व जबरन कार्य करवाने, पैसा वसूल करने एवं आर्थिक शोषण की घटनाओं की रोकथाम के बारे में सुचारू व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया ।

37. परिवाद संख्या– 07/12/226 व 07/12/543 में आयोग के आदेशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक दौसा ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों के विरूद्व 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया।

38. परिवाद संख्या– 07/12/1626 में प्रकरण संख्या– 140/07 पुलिस थाना– नांगल राजावतान के मामले में अभियुक्त के विरूद्व चार्जशीट किता कर न्यायालय में दिनांक 17.5.2007 को चालान पेश कर आयोग को सूचित किया गया।

39. परिवाद संख्या– 07/17/2611 में परिवादी सेवाराम चौधरी के परिवाद में आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) से रिपोर्ट तलब करने पर विपक्षीगण को धारा– 107, 116 (3) के तहत् पाबन्द करवाया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

40. परिवाद संख्या– 07/17/2693 में आयोग के आदेश की पालना में अति0निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने परिवादिया का पेंशन प्रकरण की स्वीकृति आदेश, ग्रेच्युटी स्वीकृति आदेश व बकाया उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान किया।

41. परिवाद संख्या– 07/17/1434 में परिवादी के मंदबुद्वि होने की स्थिति को देखते हुए राजकीय कल्याणकारी योजनाओं के तहत् परिवादी का ईलाज करवाने व अन्य सुविधाऐं प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ निर्देश दिये गये।

42. परिवाद संख्या– 06/17/3720 में राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित समाचार –'बहके जवान और जुबान' व दैनिक भास्कर मे प्रकाशित समाचार 'कि कांपे अपराधी' में आयोग के निर्देशानुसार महानिरीक्षक, पुलिस जयपुर रेंज (प्रथम), जयपुर की जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी गई। जिसमें पुलिस विभाग मे नीति सुधार हेतु शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही, रोस्टर के अनुसार ड्यूटी, जातिगत भेदभाव न करने जैसे सुझाावों/टिप्पणी से आयोग को अवगत कराया गया।

43. परिवाद संख्या– 07/17/2545 में पुरातत्व महत्व के परकोटा आदि पर करवाये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में आयोग ने अध्यक्ष राज0 धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, श्री ओंकार सिंह लखावत को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा था। जिन्होंने इस अवैध निर्माण को रूकवाया।

44. परिवाद संख्या– 07/17/2447 में डेली न्यूज में प्रकाशित समाचार 'बच्चे भूखे, हाकिम जीमने से नहीं चूके' के मामले में आयोग ने आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर से अपेक्षा की कि फागी तहसील के गांव शंकरपुरा में बच्चों के भूखे रहने की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, इस बारे में संवेदनशीलता से काम करने की अपेक्षा की।

45. परिवाद संख्या– 07/17/3249 में आयोग की अभिशंषा पर श्री खिल्लीमल जैन, आयुक्त निःशक्तजन, राजस्थान ने निःशक्त व्यक्तियों को नियम 2000 के नियम–7 क (3) के अधीन छूट प्राप्त करने व नियोजन का अवसर प्रदान हेतु निर्देश प्रदान किए।

46. परिवाद संख्या– 06/17/3821 में एक वृद्व पिता के बेटों को आपसी भाईचारे व सद्भावपूर्ण तरीके से रहते हुए अपने पिता की सेवा करने के निर्देश दिए गये। साथ ही पी.एच.ई.डी. व सेन्सस विभाग के उच्चाधिकारियों को भी अपने स्तर पर कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई।

47. परिवाद संख्या– 07/17/1076 में आयोग द्वारा वायू प्रदूषण व गंध की समस्या पर वस्तुस्थिति चाहने पर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जिला कलेक्टर व नगर निगम को कार्यवाही हेतु लिखकर आयोग को सूचित किया।

48. परिवाद संख्या– 07/17/2235 में आयोग द्वारा नर्सेज हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा व मानवाधिकारों के हनन के मामले में वस्तुस्थिति की जानकारी चाहने पर बताया कि स्टूडेंट नर्सेज हॉस्टल हेतु सुनीता सावन, नर्स प्रथम को वार्डन का पूर्णकालिक कार्य देखने हेतु लगाया गया व एक अन्य नर्स–प्रथम को भी लगाये जाने के आदेश जारी कर दिए गये है।

49. परिवाद संख्या– 07/17/2071 में प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर रा.रा.प.प.नि./यातायात विभाग/परिवहन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मे आपसी समन्वय स्थापित करने और प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम के सार्थक प्रयास करने की अपेक्षा की गई।

50. परिवाद संख्या– 07/17/889 में आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर से अपेक्षा की गई कि 'अध्यापक चाहे किसी भी जगह पर हो, बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करें' के बारे में उचित कार्यवाही करें।

51. परिवाद संख्या–06/17/3296 में शवों के सहारे मांगे मनवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अति0 महानिदेशक, पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, से प्राप्त सुझावों एवं टिप्पणियों को प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर आमजन के हित में व मानव अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से कानूनसम्मत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

52. परिवाद संख्या–06/02/488 में आयोग के निर्देशानुसार पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा परिवादी के पेंशन, ग्रेच्युटी व कम्प्यूटेशन के समस्त कार्य का निपटारा कर आयोग का सूचित किया।

53. परिवाद संख्या– 06/17/2323 में आयोग के आदेश की पालना में अपहृत बच्चों सोना व रवि नरेश को बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया एवं मुलजिमान के विरूद्व चार्जशीट पेश कर आयोग को सूचित किया गया।

54. परिवाद सॅख्या 07/26/1363 में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, पाली से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री किशनलाल की पत्नि की नसबन्दी आपरेशन असफल होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि 40,000/– रूपये का भुगतान ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से कर दिया गया हैं ।

55. परिवाद सॅख्या 07/25/2804 में आयोग द्वारा उपशासन सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी स्टेट हज कमेटी से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री गुलाम फरीद निवासी मकराना को ड्रा में चयन नही होने के कारण जमा कराई गई राशि 20,000/– का भुगतान कर दिया गया ।

56. परिवाद सॅख्या 06/26/193 में आयोग द्वारा आयुक्त कालेज शिक्षा से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री एम. एल. आछा को निलम्बनकाल के वेतन भत्तो का भुगतान कर दिया गया।

57. परिवाद सॅख्या 07/22/3033 में आयोग द्वारा मु.ख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री बीरमाराम जिला जोधपुर को उनकी बकाया वेतन राशि 1,77,033/– का भुगतान कर दिया गया।

58. परिवाद सैंख्या 06/28/2877 में आयोग द्वारा गिरधर गोपाल के परिवाद पर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर से रिपोर्ट तलब करने पर श्री अमीनुद्दीन के विरूद्ध अपराध धारा 376, 306, 120–बी, 201, 118, 196, 166 में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया हैं।

59. परिवाद संख्या– 07/17/3366 : पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गये कि वे सार्वजनिक नलकूप से पानी की नियमत सप्लाई का भविष्य में ध्यान रखेंगे ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

60. परिवाद संख्या– 06/17/563: जयपुर नगर निगम (विवाह स्थल) उपविधियां 2005 व माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में विवाह स्थलों को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

61. परिवाद संख्या– 07/17/2043 : जयपुर विकास प्राधिकरण को सुविधा क्षेत्र में प्लॉट आबंटित करने और परिवादिया के प्लॉट को खिसकाने के बारे में वस्तुस्थिति जानकर स्वयं के स्तर पर परिवाद का निस्तारण करने हेतु लिखा गया।

62. परिवाद संख्या– 07/17/2713 : Due process of law से जमीन का कब्जा लेने और पक्षकारों को According to law बर्ताव करने के निर्देश दिए गये। साथ ही एस.एच.ओ. ज्योति नगर को निर्देश दिए गये कि मौके पर कोई अप्रिय घटना न होने के मद्देनजर व जरूरत पडने पर माकूल इन्तजाम करावें।

63. परिवाद संख्या– 07/17/2152 : परिवादिया द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें से बचने के लिए विपक्षीगण ने जो मुकदमा दर्ज कराया गया, इस बात को सम्बन्धित न्यायालय के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता परिवादिया को दी गई। इसके अलावा सम्बन्धित पुलिस थाना को भी वारंट की तस्दीक करवा कर ही तामील कराने के निर्देश दिए गये। न्यायहित में, इस निर्णय की प्रति उडीसा राज्य मानव अधिकार आयोग, जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर व सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भी सूचनार्थ भेजी गई।

64. परिवाद संख्या– 07/17/1274 : जेल प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वे बंदियों को उचित मेडिकल व अन्य सुविधाऐं नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए और अधिक जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता से काम करें।

65. परिवाद संख्या– 07/17/2888 : दलित महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हुए अत्याचारो के मामले में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर/ झालावाड/ हनुमानगढ/ सीकर/ टोंक/झुन्झुनु/ जयपुर/ अजमेर/ चुरू से वस्तुस्थिति मालूम कर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकगण को लम्बित मामलों में निष्पक्ष एवं त्वरित अनुसंधान करते हुए सक्षम न्यायालय में नतीजा पेश करने के निर्देश दिए गये। इसके अलावा परिवादी को भी सक्षम न्यायालय में अपने तमाम उज्र एवं कानूनी कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई।

66. परिवाद संख्या– 07/17/2439 : जेल प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वे जेल परिसर में बंदियों के बारे में कानून के अनुसार व्यवस्था कराना सुनिश्चित करायें। जिस से इस प्रकार की शिकायतों का मौका नहीं मिले।

67. परिवाद संख्या– 06/17/2060 : जयपुर नगर निगम व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अपेक्षा की गई कि यदि भविष्य में बन्द ईकाई शुरू होने पर कोई प्रदूषण होता है, तो वे विधिनुसार कार्यवाही अमल में लाये।

68. परिवाद संख्या–07/17/2260 : सोर्स के अभाव में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मशीन के संचालित नहीं रहने की स्थिति में कैंसर पीडितो के ईलाज व असुविधा के मद्देनजर अधीक्षक, एस. एम.एस. अस्पताल से यह जानकारी चाही कि इन परिस्थितियों में कैंसर पीडितों के ईलाज की क्या व्यवस्था है ? और क्या ऐसे मरीजों को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर में ईलाज के लिए रैफर किया जा सकता है? साथ ही, चैयरपर्सन, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल से भी पूछा गया कि यदि एस.एम.एस. चिकित्सालय से ऐसे मरीजों को रैफर किया जाता है, तो क्या उन्हें मुफ्त/रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है?

69. परिवाद संख्या–07/17/3762 : में गरीब व मजदूर पेशा व्यक्तियों द्वारा फुटपाथ व ओवरब्रिज के नीचे रात गुजारने के तथ्यों को देखते हुए व उनके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकारों के हनन को देखते हुए आयुक्त जयपुर नगर निगम से पूछा गया कि वी.के.आई. सीकर रोड जैसे व शहर के अन्य स्थानों पर रैन बसेरा की जरूरत है क्या ? इसके अलावा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भी लिखा गया कि राज्य के अन्य जिलों मे भी रैन बसेरा की वस्तुस्थिति के बारे में आयोग को अवगत करावें। आयोग उप सचिव को भी आदेश दिये गये कि वे बांगड स्थाई

रैन बसेरा व बजरी मंडी सीकर रोड स्थित अस्थाई रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का मुआयना कर आयोग को अवगत करावें।

70. परिवाद संख्या– 05/17/3038 व परिवाद संख्या– 05/01/3234 : तीन दिन तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं करने के सम्बन्ध में खण्डपीठ के आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2007 के की पालना में सम्बन्धित थानाधिकारी– थाना चाकसू श्री सवाई सिंह, उ.नि. के विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आयोग को अवगत कराया गया।

71. परिवाद संख्या– 06/26/1152 : परिवादी के पुत्र नरेन्द्र कुमार का सही ईलाज नहीं करने, रिश्वत लेने व डाक्टर की लापरवाही से दिनांक 9.12.2006 को मृत्यु हो जाने के मामले में दोषी डा0 टीकम चन्द का निलम्बन कर आयोग को सूचित किया गया। परिवादी को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर से अपेक्षा की गई कि वे मृतक नरेन्द्र कुमार की मृत्यु पर परिवादी को हुई आर्थिक हानि के सम्बन्ध में उचित मुआवजे की नियमानुसार कार्यवाही कर आयोग को सूचित करेंगे।

72. परिवाद संख्या–08/17/289 : सवाईमानसिंह अस्पताल में कार्यरत महिला डाक्टर्स को प्रसूति अवकाश मय वेतन नहीं दिए जाने और अवकाश के बदले में आगे कार्य करवाने के मामले में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) राज0 जयपुर से मामले की वस्तुस्थिति के बारे में पूछा गया।

73. परिवाद संख्या–08/17/71 : प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा व मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही मानते हुए राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कारगार कदम उठाये। इसके अलावा फोर्टीज जैसे अस्तपाल जिनको राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन भी उपलब्ध कराई जाती है व जो International Standards पर ईलाज का दावा करता है, वहां ईलाज में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण की और अधिक अपेक्षा की गई।

74. परिवाद संख्या 07/17/3755 : परिवादी की गुमशुदा पत्नी व बच्चों की रिपोर्ट थानाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं करने और कार्यवाही नहीं करने के बारे में सम्बन्धित थानाधिकारी श्री सवाई सिंह, उ.नि. के विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आयोग को अवगत कराया गया। साथ ही, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गये कि वे गुमशुदा औरत व बच्चों की शीघ्रता से तलाश करवा कर आयोग को सूचित करें।

75. परिवाद संख्या– 7/18/2507 : में आयोग के निर्देशानुसार रा.प्रा.विद्यालय, जैसलमेर में पानी की समस्या के समाधान हेतु टांके को ऊंट गाडी से भरवाया गया तथा पाईपलाईन योजना का सर्वे करवाया गया।

76. परिवाद संख्या– 7/23/3490 : में आयोग के निर्देशानुसार श्री रामलाल जांगिड, भीलवाडा को सर्विस बुक की डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध करवा कर दी गई।

77. परिवाद संख्या– 6/26/193 : में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी डा. एम.एल. आछा को हितकारी निधि, अनुकम्पा नियुक्ति , बकाया चिकित्सा दावा, ग्रुप बीमा का भुगतान किया गया।

78. परिवाद संख्या– 05/08/847 व 4/08/2260 : आयोग के निर्देशानुसार नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा अतिशीघ्र 67 गाडिया लुहारों को आवास गृह आबंटित करने हेतु कानून सम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

79. परिवाद संख्या– 7/30/2942 व 7/30/3354 : आयोग के निर्देशानुसार श्रीमती सुन्दरी देवी, जिला प्रतापगढ को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10000/–की सहायता जिला कलेक्टर से माध्यम से दिलवाये जाने के आदेश दिए गये।

80. परिवाद संख्या– 07/29/2240 में आयोग के निर्देशों की अनुपालना में नसबन्दी के बाद बच्चा पैदा होने की स्थिति में अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा परिवादिया राधादेवी को 25000/– रुपये भुगतान बतौर क्षतिपूर्ति कर आयोग को सूचित किया गया।

81. परिवाद संख्या– 06/29/2410 में परिवादी कान्हाराम, नेत्रविहीन विकलांग की पेंशन बंद हो जाने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी को बकाया पेंशन का भुगतान कर आगे भी पेंशन जारी रखे जाने के बारे में आयोग को सूचित किया गया।